न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपशहर, बुलन्दशहर।

प्रार्थना पत्र सं0 222 सन 2022

विवेक कुमार सिंह.....बनाम.....चन्द्रशेखर व अन्य

27.01.2023

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी विवेक कुमार सिंह पुत्र श्री सियाराम सिंह निवासी ग्राम तलवार थाना डिबाई जनपद बुन्दशहर का निवासी है। प्रार्थी के पूर्वज अपने जीवनकाल में ही आपसी बटवारा कर रहे थे। प्रार्थी व उसके ताऊजात लड़के चन्द्रशेखर, रामबाबू पुत्रगण शिवराम सिंह अपनी-अपनी जगहों पर काबिज है। प्रार्थी की आवादी में पुरानी जालीदार दीवार चन्द्रशेखर की जगह में खड़े पेड़ गुद्दा गिरने से पिलर गिर गया है, जबकि प्रार्थी ने की बार चन्द्रशेखर से पेड़ काटने को कई बार कहा तो वह नहीं माना और अपनी मनमानी करने पर अड़ा हुआ है, जो कि आये दिन लड़ाई करने के लिए आमादा रहता है। घटना दिनांक 30.09.2022 की सुबह करीब 09.30 बजे की है कि उपरोक्त चन्द्रशेखर व रामबाबू, मनोरमा पत्नी रामबाबू, सुधा पत्नी चन्द्रशेखर अपने-अपने हाथों में डण्डे लेकर प्रार्थी के घर में घुस आये और प्रार्थी की पत्नी चंचल व पुत्री संचिता के साथ मारपीट की तथा उनके कपड़े फाड़ दिये। प्रार्थी घटना की सूचना मिलने पर करीब 11.30 बजे डिबाई से लोट आया तो घर पहुंचते ही उपरोक्त लोग पुनः घर में आये और प्रार्थी के साथ लोहे के पाईप के साथ मारपीट की तब प्रार्थी ने शोर मचाया तो मौहल्ले के लोग आ गये जिन्हे देखकर गन्दी-गन्दी गालियाँ देते हुए तथा आयन्दा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये और उक्त लोग किसी झूंठे मुकदमें में प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को फंसाने की धमकी भी दी है। प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार इन लोगों की वेजा हकरतों से भयभीत व परेशान है। प्रार्थी ने दिनांक 30.09.2022 को कोतवल साहव डिबाई थाना डिबाई जिला बुलन्दशहर को एक तहरीर दी लेकिन पुलिस ने प्रार्थी व उसके चुटैलों का मैडिकल कराया था तथा दूसरे दिनांक 01.10.2022 को प्रार्थी व उसके चुटैलों पुत्री संचिता व पत्नी चंचल उर्फ माधवी को हायर सेन्टर मेडिकल बुलन्दशहर को इलाका पुलिस एक्स-रे व इलाज हेतु बाबू बनारसीदास बुलन्दशहर ले गयी तथा प्रार्थी की पत्नी चंचल उर्फ माधवी के कन्धे में फ्रेक्चर है, लेकिन इलाका पुलिस ने आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की। प्रार्थी ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, बुलन्दशहर को बजरिये डाक दिनांक 15.10.2022 को प्रेषित किया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मजबूरन न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र 156(3)द०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया है कि थानाध्यक्ष महोदय डिबाई को मुकदमा कायमी व तफशीश करने के आदेश

Digitally signed by PARVIND KUMAR
Date: 2023.01.30 23:40:43 EST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पारित किये जाने की याचना किया है।

आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर को दिये गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, रजिस्ट्री की रसीद एवं बाबू बनारसी दास राजकीय चिकित्सालय बुलन्दशहर का मैडिकल प्रपत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना डिबाई से आख्या तलब की गयी। थाने के द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना व थाने की आख्या एवं उपलब्ध दस्तावेजों का सम्यक रूप से अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) ए0 सी0 आर0 739 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर कोई आदेश पारित किये जाने से पूर्व न्यायालय को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। तत्पश्चात ही कोई आदेश पारित किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में आवेदक द्वारा घटना का विस्तृत विवरण अपने प्रार्थना पत्र में दिया है तथा समस्त तथ्य प्रार्थी के निजी ज्ञान में है। प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामले की समीक्षा स्वयं न्यायालय द्वारा किया जाना ही समुचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन पंजीकृत कराये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u> -

प्रार्थी/आवेदक विवेक कुमार सिंह का प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता परिवाद के रूप में दर्ज होकर वास्ते बयान धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 27.02.2023 को पेश हो।

(परविन्द कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
JO Code UP1837

जय चन्द(आशुलिपिक)